

जगद्गुरु रामानदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय,

ग्राम मदारु, पोस्ट भांकरोटा, जयपुर – 302026

क्रमांक: प (1011)/जरारासंवि/सा.प्र./10/

दिनांक:

निविदा सूचना

विश्वविद्यालय में वर्ष 2010-11 हेतु अनुबन्ध के आधार पर निम्न कार्यों के लिए संबंधित पंजीकृत फर्मों से मुहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं :-

क्र. सं.	विवरण	अनुमानित लागत (वार्षिक)	अमानत राशि	निविदा शुल्क	विशेष विवरण
1.	मासिक एम्बेसेडर कार/टाटा इण्डिका/मारुति वैन/मैक्स/ट्वेरा/क्वालिस/बस बन्द बाडी महिन्द्रा ..... गाड़ी/ बंद बाडी श्री व्हीलर	6.00 लाख	12000	100.00	न्यूनतम किसी भी श्रेणी के दो वाहनों का अनुबन्ध अनिवार्य होगा। मासिक आधार पर अधिकतम अनुबंधित वाहनों की संख्या 5 तक हो सकती है।
	आवश्यकता अनुसार एम्बेसेडर कार/ट्वेरा/टाटा इण्डिका/मारुति वैन/मैक्स/टाटा सुमो/क्वालिस/बस 25 सीटर/बस 42 सीटर/ बन्द बाडी श्री व्हीलर	8.00 लाख	16000	100.00	
2.	विश्वविद्यालय परिसर में सफाई का ठेका	3.00 लाख	6000	100	
3.	विश्वविद्यालय परिसर में बागवानी का ठेका	1.50 लाख	3000	100	
4.	स्टेशनरी	3.00 लाख	6000	100	
5.	उत्सवों, समारोहों एवं संगोष्ठियों के लिए टैन्ट एवं माईक व्यवस्था।	5.00 लाख	10000	100	
6.	मुद्रण	6.00 लाख	12000	100	
7.	छात्रावास भोजन हेतु मैस व्यवस्था	3.00 लाख	6000	100	
8.	कैंटिन संचालन हेतु	50.00 हजार	1000	100	
9.	समारोहों की फोटोग्राफी, विडियोग्राफी इत्यादि।	1.50 लाख	3000	100	
10.	परिसर की सुरक्षा व्यवस्था व अन्य सेवाओं के लिए पंजीकृत एक्स सर्विस मैन सहकारी संस्थाओं से आवेदन	प्रस्ताव संस्था के प्रपत्र पर प्रस्तुत किया जावे।			
11.	विश्वविद्यालय की विभिन्न निविदाओं, विज्ञप्तियों, सूचनाओं को राजस्थान के विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु पंजीकृत विज्ञापन एजेंसियों से आवेदन।	प्रस्ताव संस्था के प्रपत्र पर प्रस्तुत किया जावे।			
12.	कार्मिकों की सेवाओं हेतु प्लेसमेंट एजेंसी का प्रस्ताव	प्रस्ताव संस्था के प्रपत्र पर प्रस्तुत किया जावे।			

निविदा प्रपत्र दिनांक ..... से कार्यालय समय में प्राप्त किए जाकर दिनांक ..... को दोपहर ..... बजे तक जमा करवाये जा सकते हैं जो उसी दिन अपरान्ह ..... बजे खोले जायेंगे। शुल्क व अमानत राशि विश्वविद्यालय परिसर स्थित इलाहाबाद बैंक, मदारु शाखा में चालान से जमा करवाकर निविदा प्रपत्र प्राप्त किये जा सकते हैं। किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास पूर्णतः सुरक्षित है।

कुलसचिव